# न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैकुण्ठपुर
# जिला–कोरिया (छ0ग0)

रा0अ0प्र0क्र0– 202602011300021/A62

श्यामूराम आ0 स्व0 जगरनाथ
निवासी ग्राम गिरजापुर तह0 पटना
जिला–कोरिया (छ0ग0) ......................आवेदक

**प्रति**

गीता प्रसाद पिता प्रमोद जाति रजवार
निवासी ग्राम गिरजापुर तह0 पटना
जिला–कोरिया (छ0ग0) ...................... आवेदक

**<u>//आदेश//</u>**

**(पारित दिनांक 16/01/2026)**

आवेदक श्री श्यामूराम आ0 स्व0 जगरनाथ निवासी ग्राम गिरजापुर तह0 पटना जिला–कोरिया (छ0ग0) द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में आवेदक के जमीन पर लगाये गये पेड़ो मे से 17 नग पेड़ को काटकर ले जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पिपरा स्थित भूमि ख0नं0 628 के मेंड़ में लगाये गये 17 युकेलिप्टस के पेड़ का काटा जाना पाया गया तथा 17 नग पेड़ का ठूठ पाया गया । अनावेदक गीता प्रसाद पिता प्रमोद जाति रजवार निवासी ग्राम गिरजापुर द्वारा यूकेलिप्टस के 17 नग पेड़ काटकर विक्रय कर दिया है । जिससे आवेदक को 50000/– (पचास हजार रू0) का आर्थिक हानि हुआ है ।

उक्त संबंध में अनावेदक गीता प्रसाद को आहूत किया गया । अनावेदक द्वारा अपने जवाब बताया है कि आवेदन पत्र की कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित क्रमांक 01 कथन सत्य मनगढंत कहानी होने से अस्वीकार है । यह अस्वीकार है कि दिनांक 10.05.2024 को आवेदक मेहमानी करने ग्राम अगस्तपुर जिला सूरजपुर गया था । वहॉ से दूसरे दिन अपने घर आया । यह भी अस्वीकार है कि दूसरे दिन अपने खेत ग्राम पिपरा स्थित भूमि ख0नं0 620/2 रकबा 0.050 हे0 में गया जिसे देखा कि लगे 17 नग पेड़ो को काटकर जमीन से अलग कर टुकड़ा करके ट्रेक्टर से ग्राम टेगनी का सोमेश्वर पिता रामगोपाल के द्वारा करवाया जा रहा है । यह अस्वीकार है कि उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना में दिया था । जिस पर पुलिस कोई कार्यवाही नही किया है । यह भी अस्वीकार है कि आज भी अनावेदक गीता मुझे धमकी दे रहे है कि बाकी बचे पेड़ो को भी कटवाकर ले जायेंगे।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
बैकुण्ठपुर जिला–कोरिया (छ0ग0)

अतिरिक्त कथन बताया है कि भूमि ख0नं0 620 पुराने अभिलेखों में शासकीय भूमि है, जिसे अनावेदकगण के पूर्वज चरकू के द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व कब्जा करके रखे थे । चरकू के पॉच विधिक वारिसानों मोहन, दशरथ, मोहरसाय, जगरनाथ, रामनाथ के मध्य 50 वर्ष पूर्व से 1/5 भाग में आपसी बंटवारा करके अलग-अलग भाग पर उक्त भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाकर काबिज काश्त रहे है । उस पर अनावेदकगण के पूर्वजो के द्वारा मेढ पर पेड़ लगाये थे तथा मोहन के पुत्र मनराज की पुत्री मूर्तिबाई के द्वारा अपने पूर्वजो के द्वारा लगाये गये अपने हिस्से की भूमि के पेड़ को काटकर अपने निजी उपयोग हेतु ग्राम कैलाशपुर मकान बनाने के उपयोग हेतु ले गई है । अनावेदक गीता प्रसाद के द्वारा कोई पेड़ का कटाई नही किया है और न ही पेड़ के किसी भी अंश को अपने पास रखा है।

आवेदक उक्त भूमि मे से मोहन के कब्जे की भूमि को विधि विरूद्व तरीके से अपने नाम पर पट्टा बनवा लिया है और उक्त भूमि को अपना भूमि बताता है, जबकि पेड़ लगी भूमि पर आवेदक कभी भी कब्जे में नही रहा है और न ही आवेदक उक्त पेड़ो का लगाया था । जिसके पिता के द्वारा उक्त पेड़ को लगाया था वह ही उक्त पेड़ की कटाई करके अपने उपयोग में लगा दिया है ।

उपरोक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी वन एवं राजस्व निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन मंगाया गया । अनुविभागीय अधिकारी (वन) बैकुण्ठपुर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त । जॉच में आवेदक श्यामूराम पिता स्व0 जगरनाथ जाति रजवार साकिन गिरजापुर तहसील पटना जिला कोरिया के निजी भूमि पर लगे 17 नग नीलगिरी पेड़ को अनावेदक गीता प्रसाद पिता प्रमोद जाति रजवार साकिन गिरजापुर के द्वारा काटे जाने तथा उक्त पेड़ को विक्रय किये जाने के संबंध में पत्र क्रमांक 02 के माध्यम से मौका जॉच प्रतिवेदन दिनांक 16.01.2025 को गिरजापुर एवं पिपरा में राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी के संयुक्त रूप से उपस्थित होकर मौका जॉच किया गया । जिसमें पाया गया कि ग्राम पिपरा अन्तर्गत खसरा नं0 620/2 रकबा 0.050 मे स्थित भूमि जो कि आवेदक के पिता स्व0 जगरनाथ के नाम से दर्ज है । उक्त भूमि से ही 17 नग नीलगिरी पेड़ों की कटाई माह मई 2024 में किया गया है। जिसका ठूठ मौके पर स्थित है । जिसका नापजोख किया गया तथा उक्त 17 नग नीलगिरी पेंड़ो को गीता प्रसाद पिता प्रमाद जाति रजवार साकिन गिरजापुर के द्वारा काटा जाना बताया गया तथा काटे गये पेड़ों मे से प्राप्त 12 नग लट्ठा सड़क के किनारे रखा हुआ है एवं 12 नग लट्ठा के अतिरिक्त 17 नग पेड़ो से प्राप्त लट्ठो को गीता प्रसाद के द्वारा मौके पर से हटा दिया गया था ।

उपरोक्त काटे गये 17 नग नीलगिरी वृक्षो की अनुमानित उत्पादन राज्य स्तरीय फार्म फैक्टर (छ0ग0) स्थलगुण श्रेणी – तृतीय अनुसार 6.375 घ.मी.होता है तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त 0.638 घ.मी. कुल अनुमानित उत्पादन 7.013 घ.मी. होता है । उक्त काटे गये वृक्षो से प्राप्त सड़क के किनारे रखे हुये 12 नग लट्ठा का घ.मी. 4.423 है । कुल अनुमानित उत्पादन 7.013 घ.मी. मे से सड़क पर रखे 12 नग लट्ठा = 4.432 घ.मी. को घटाये जाने के उपरांत कुल 2.581 घ.मी., काटे गये वृक्षो से कम पाया गया, जिसका मूल्य 16295/– रू0 प्रति घ.मी. के दर से 42057/– (बयालिस हजार सन्तावन रू0) मात्र होता है ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया (छ0ग0)

उपरोक्तानुसार आवेदक का आवेदन पत्र, अनावेदक का जवाब व अनुविभागीय अधिकारी (वन) बैकुण्ठपुर, राजस्व निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन तथा प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । जॉच प्रतिवेदन अनुसार काटे गये 17 नग नीलगिरी वृक्षो की अनुमानित उत्पादन राज्य स्तरीय फार्म फैक्टर (छ0ग0) स्थलगुण श्रेणी – तृतीय अनुसार 6.375 घ. मी.होता है तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त 0.638 घ.मी. कुल अनुमानित उत्पादन 7.013 घ.मी. होता है । उक्त काटे गये वृक्षो से प्राप्त सड़क के किनारे रखे हुये 12 नग लट्ठा का घ.मी. 4.423 है । कुल अनुमानित उत्पादन 7.013 घ.मी. मे से सड़क पर रखे 12 नग लट्ठा = 4.432 घ.मी. को घटाये जाने के उपरांत कुल 2.581 घ.मी., काटे गये वृक्षो से कम पाया गया, जिसका मूल्य 16295/– रू0 प्रति घ.मी. के दर से 42057/– (बयालिस हजार सन्तावन रू0) मात्र आंकलन किया गया है, जॉच प्रतिवेदन से पुष्टि होती है ।

अतः अनावेदक गीता प्रसाद पिता प्रमोद जाति रजवार निवासी ग्राम गिरजापुर तह0 पटना जिला–कोरिया (छ0ग0) को निर्देशित किया जाता है कि कुल 2.581 घ.मी., काटे गये वृक्षो का मूल्य 16295/– रू0 प्रति घ.मी. के दर से 42057/– (बयालिस हजार सन्तावन रू0) मात्र आवेदक श्यामूराम आ0 स्व0 जगरनाथ निवासी ग्राम गिरजापुर तह0 पटना जिला–कोरिया (छ0ग0) का भुगतान कर रसीद इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

आदेश पारित एवं घोषित ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
बैकुण्ठपुर जिला–कोरिया (छ0ग0)

पृ0क0 850 /वाचक/2026

बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/02/2026

प्रतिलिपिः–

1. अनुविभागीय अधिकारी (वन) बैकुण्ठपुर जिला–कोरिया (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. तहसीलदार, पटना जिला–कोरिया (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. श्री गीता प्रसाद पिता प्रमोद निवासी ग्राम गिरजापुर तह0 पटना जिला–कोरिया (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. श्री श्यामूराम आ0 स्व0 जगरनार्थ निवासी ग्राम गिरजापुर तह0 पटना जिला–कोरिया (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
बैकुण्ठपुर जिला–कोरिया (छ0ग0)